

न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :::: सत्यनारायण सैन, R.T.S.
मिसल नं. :::: 59/2022

सरकार बनाम लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति-माली
निवासी खादरा हाल आबाद सेही कलां।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 08.08.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल लीलाराम पुत्र प्रभूदयाल जाति-माली निवासी खादरा हाल आबाद सेही कलां ने रोही मौजा सेही कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 415 रकबा 7.87 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.05 है0 पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 40 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फौसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० से० सं० 4 के पृष्ठ सं. पर
वर्ष 2022-23 में रुपये 19/... कायम किए
राजस्व लेखाकार

(सत्यनारायण सैन)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़